

No. ~~PVX~~ / R₂ / 5419स्था. क्र. ०० (त)-४३
M. S. O. (T)-४३फॉर्म ४३
FORM 43

[देखिए पैरा 306/See Paragraph 306]

पेंशन अदायगी आदेश
PENSION PAYMENT ORDERसंवितरक का भाग
Disburser's Portion

B/A 28-12-87

..... सरकार को डेबिट हो
Debitable to... Karnataka Government

लेखा शीर्ष/Head of Account 2071 P+ORB 01 Civil 105-3

मुख्य शीर्ष/Major Head

लघु शीर्ष/Minor Head

दत्तमत/Voted

प्रभारित/Charged

पहली अदायगी के समय पेंशनभोगी के हस्ताक्षर लेने के लिए स्थान

Place for signature of pensioner to be taken at the time of first payment.....

5948

नाम Names	पेंशन का वर्ग और शुरू होने की तारीख Class of pension and the date of commencement	मुँह या हाथ पर वैयक्तिक पहचान का निशान, यदि कोई हो Personal identi- fication mark on face or hand, if any	कद Height फुट Fe.	इंच In.	जन्म की तारीख/ अनुमानित तारीख Date or approximate date of birth	धर्म और राष्ट्रियता Religion and nationality	निवास स्थान गांव और परगना सहित Residence showing village and pargana	मासिक पेंशन की राशि Amount of monthly pension रु. प. Rs. P.
Smt. H. N. Varajakshi W/o late Puttarajji	Family 29-12-87	—	—	—	—	Indian	No-30 1st Main, 1st stage, Phase, West of Chord Rd.	980=00 PMWGL 29-12-87 to 28-12-94 + 490=00 PM WGL 29-12-94 onwards for Rajajinagar, life to B. C. C. on

1.

2. परिवार पेंशन
Family Pension

पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख

Date of death of the Pensioner.....

(खजांना अधिकारी द्वारा लिखी और साक्ष्यंकित की जाये)

(To be filled in and assessed by the Treasury Officer)

का कार्यालय

OFFICE OF THE.....

संख्या

No.

तारीख

the

19

88

PA2/G/PPD No. 10979/FP/BNG

21-4-1988

DA Rs 70=00 PM
(Sew. K. V. R.)

WGL 29-12-87

महोदय
Sir

अगली सूचना प्राप्त होने तक और प्रत्येक मास के समाप्त होने पर कृपया को
इस आदेश का पेंशनभोगी वाला भाग प्रस्तुत करने पर पेंशन के प्रति रुपये (आयकर निकालकर) अदा करें जो
..... द्वारा पत्र संख्या म संबंधित की गई तथा दावेदार से सामान्य फॉर्म पर उस राशि के लिए एक
रसीद ले लें। अदायगी से शुरू होने चाहिए।

UNTIL FURTHER NOTICE, and on the expiration of every month be pleased to pay to.....

Smt. H. N. Varajakshi

(less Income-tax), being the amount of..... the sum of Rupees.....

PENSION, as.....

upon the production of the Pensioner's portion of this order taking from the claimant a receipt of the amount according to usual form. The

payment should commence from.....

Rs. nine hundred and eighty only from 29-12-87 to 28-12-94
and Rupees four hundred and ninety only from 29-12-94 onwards.

2. श्री/श्रीमती की मृत्यु के अगले दिन से उसके पुनर्विवाह या मृत्यु की तारीख तक।
 In the event of the death of Shri/Smt. per month, may be paid from the day following the date of death of Shri/Smt. till the date of his/her re-marriage or death whichever is earlier (on receipt of death certificate and Form of Application from widow/widower).

सेवा में/To
 खजाना अधिकारी/The Treasury Officer,
 (स्थान)/(at).....

टिप्पणी-1. यदि किसी लेनदार को किसी पेंशनभोगी से कोई पैसा लेना हो तो उसके कहने पर भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा उस (पेंशनभोगी) पेंशन अधिग्रहण, कुर्क अथवा जब्त नहीं की जा सकती (1871 के अधिनियम XXIII की धारा II)।
 Note. No pension shall be liable to seizure, attachment or sequestration by process of any Court in India at the instance of a creditor any demand against the pensioner (Section II, Act XXIII of 1871).

2. निम्नलिखित अपवादों के अतिरिक्त इस आदेश के अन्तर्गत अदायगी केवल पेंशन भोगी को ही व्यक्तिगत रूप में करती है :-
 Payment under this order is to be made only to the Pensioner in person, with the following exceptions :-
 (क) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से इस की छूट दी गई हो।
 (ख) जनता की सामने निकलने में अनवस्थ महिलाओं को और बीमारों या शारीरिक अशक्तता के कारण स्वयं उपस्थित होने असमर्थ व्यक्तियों को।
 (ग) ऐसे व्यक्ति को जो निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण-पत्र भेजता है :-
 1908 के अन्तर्गत नियुक्त कोई पंजीयक या उप-पंजीयक अथवा कोई ऐसा पेंशन प्राप्त अधिकारी जो निवृत्ति से पहले मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता रहा हो, या कोई राजपत्रित अधिकारी या कोई मुंसिफ अथवा ऐसा पुलिस अधिकारी जिसका दर्जा किसी थाने के प्रभारी दरोगा से कम न हो या कोई पोस्टमास्टर, विभागीय उप-पोस्टमास्टर, या डाक निरीक्षक अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई प्रथमश्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई स्टाफ अधिकारी या स्टेट बैंक की किसी शाखा में लेखाकार अथवा एजेंट के रूप में नियुक्त उप-लेखाकार या स्टेट बैंक की ब्रांच का लेखाकार या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी सहायक बैंक का अधिकारी या विलेज पंचायत ग्राम पंचायत या गांव पंचायत का प्रधान या विलेज की कार्यकारी समिति के प्रधान द्वारा।
 (घ) किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत में रहता हो परन्तु जो किसी ऐसे एजेंट के माध्यम से अपनी पेंशन लेता हो जिसने अधिक अदायगियों की वापसी के लिए एक बैंधपत्र प्रस्तुत कर रखा हो बशर्त कि वह एजेंट वर्ष में कम से कम एक बार खंड (ग) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।
 (ङ) खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सभी मामलों में संवितरण अधिकारी को वर्ष में कम से कम एक बार जीवित रहने के प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त पेंशनभोगी के निरन्तर जीवित रहने का एक और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आवश्यकता होगी।
 (च) में उल्लिखित मामलों अन्तिम बार जीवित रहने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तारीख के बाद एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पेंशन अदा नहीं की जाएगी और संवितरण अधिकारी को ऐसे किसी पेंशन भोगी की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना प्राप्त करने पर निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल पेंशन को आगे की अदायगियां रोक देनी चाहिए।
 (ज) In all classes referred to in clauses (a), (b) and (c) the Disbursing Officer must at least once a year, require proof independent of that furnished by the Life Certificate, of the continued existence of the Pensioner. In cases referred to in Clause (d) the pension shall not be paid on account of a period more than a year after the date of Life Certificate last received and the Disbursing Officer must be on the watch for authentic information of the decease of any such Pensioner, and on receipt thereof, shall promptly stop further payments.

3. उदासीन पेंशन नियमावली द्वारा शामिल किसी पेंशनभोगी को निवृत्त होने की तारीख से पांच वर्ष के अन्दर 1 मृत्यु हो जाने पर संवितरण अधिकारी को निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए :-
 In the event of the death of a pensioner governed by the Liberalised Pension Rules within a period of five years from the date of retirement the Disbursing Officer should take the following action :-
 (i) निश्चित परिस्थितियों में, उदासीन पेंशन नियमावली के अन्तर्गत स्वीकार्य परिवार पेंशन और/या अवशिष्ट उपदान से सम्बन्ध सूचना उस व्यक्ति को भेज दी जानी चाहिए, जिसको केन्द्रीय खजाना नियमावली भाग I के नियम 370 के अन्तर्गत पेंशन की वकाया रकम अदा की गई हो या देय हो, और
 Intimation regarding the benefits of family pensions and/or residuary gratuity admissible under the Liberalised Pension Rules under certain circumstances should be sent to the person to whom arrears of pension are paid or are payable under Rules 370 of the Central Treasury Rules Vol. I, and
 (ii) पेंशन भोगी की मृत्यु की सूचना उस समय तक प्रदत्त पेंशन के विवरण आदि सहित कार्यालय/विभाग अध्यक्ष को भेज देनी चाहिए, ताकि वह परिवार पेंशन और/या अवशिष्ट उपदान मंजूर करने के लिए आगे कार्यवाही कर सके।
 Intimation about the death of the pensioner should be sent to the Head of the Office/Department along with a statement of pension etc. so far paid, in order to enable him to take further action regarding grant of family pension and/or residuary gratuity.

REVERSE OF DISBURSER'S PORTION
 281311-15...
 2840020
 265-95 wk 0042

पेंशन की राशि Amount of pension Rs. रुपये (शब्दों में) in words
 यह प्रलेख संवितरण अधिकारी को प्राधिकार पत्र के प्रभावी रहने तक इस ढंग से रखना चाहिए कि वह पेंशनभोगी की पहुंच के बाहर रहे।
 This document is to be retained by the Disbursing Officer so long as the authority remains in force in such manner that the Pensioner shall have no access to it. Every separate payment is to be recorded below:

वह मास जिसके लिए पेंशन देय है Month for which pension is due	19	-19	19	-19	19	-19	19	-19	19	-19	अभ्युक्तियां Remarks
	अदाय- गियों की तारीख Date of payments	संवितरण अधिकारी के आक्षेप Disburs- ing Officer's Initials	अदाय- गियों की तारीख Date of payments	संवितरण अधिकारी के आक्षेप Disburs- ing Officer's Initials	अदाय- गियों की तारीख Date of payments	संवितरण अधिकारी के आक्षेप Disburs- ing Officer's Initials	अदाय- गियों की तारीख Date of payments	संवितरण अधिकारी के आक्षेप Disburs- ing Officer's Initials	अदाय- गियों की तारीख Date of payments	संवितरण अधिकारी के आक्षेप Disburs- ing Officer's Initials	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मार्च March											
अप्रैल April											
मई May											
जून June											
जुलाई July											
अगस्त August											
सितम्बर September											
अक्टूबर October											
नवम्बर November											
दिसम्बर December											
जनवरी January											
फरवरी February											

*पेंशनभोगी की पहचान के बारे में टिप्पणी Note of Pensioner's Identification	तारीख Date	आक्षेप Initials	तारीख Date	आक्षेप Initials	तारीख Date	आक्षेप Initials	तारीख Date	आक्षेप Initials	तारीख Date	आक्षेप Initials	तारीख Date	आक्षेप Initials

*यदि अदायगी डाक मनीआर्डर द्वारा की जाय तो पहचान की आवश्यकता विहित रूप से वर्ष में दो बार अन्यथा एक बार होती है।
 *If the payment is by Postal Money Order identification is required twice a year as prescribed otherwise annually.
 प्रभासमूटेक-275 सिविल/81-82-मासमूटेक-(सी-67)-29-3-58-500,000.
 MGIPCT-275 Civil/81-82-GIPCT-(C-67)-29-3-58-500,000

No. ~~PVX~~ / R₂ / 5419स्था. क्र. ०० (त)-४३
M. S. O. (T)-४३फॉर्म ४३
FORM 43

[देखिए पैरा 306/See Paragraph 306]

पेंशन अदायगी आदेश
PENSION PAYMENT ORDERसंवितरक का भाग
Disburser's Portion

B/A 28-12-87

..... सरकार को डेबिट हो
Debitable to... Karnataka Government

लेखा शीर्ष/Head of Account 2071 P+ORB 01 Civil 105-3

मुख्य शीर्ष/Major Head

लघु शीर्ष/Minor Head

दत्तमत/Voted

प्रभारित/Charged

पहली अदायगी के समय पेंशनभोगी के हस्ताक्षर लेने के लिए स्थान

Place for signature of pensioner to be taken at the time of first payment.....

5948

नाम Names	पेंशन का वर्ग और शुरू होने की तारीख Class of pension and the date of commencement	मुँह या हाथ पर वैयक्तिक पहचान का निशान, यदि कोई हो Personal identi- fication mark on face or hand, if any	कद Height फुट Fe.	इंच In.	जन्म की तारीख/ अनुमानित तारीख Date or approximate date of birth	धर्म और राष्ट्रियता Religion and nationality	निवास स्थान गांव और परगना सहित Residence showing village and pargana	मासिक पेंशन की राशि Amount of monthly pension रु. प. Rs. P.
Smt. H. N. Varajakshi W/o late Puttarajji	Family 29-12-87	—	—	—	—	Indian	No-30 1st Main, 1st stage, Phase, West of Chord Rd.	980=00 PMWGL 29-12-87 to 28-12-94 + 490=00 PM WGL 29-12-94 onwards for Rajajinagar, life to B. C. C. on

1.

2. परिवार पेंशन
Family Pension

पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख

Date of death of the Pensioner.....

(खर्चा अधिकारी द्वारा लिखी और साक्ष्यकित की जाये)

(To be filled in and assessed by the Treasury Officer)

OFFICE OF THE.....

का कार्यालय

संख्या

No.

तारीख

the

19

88

PA2/G/PPD No. 10979/FP/BNG

21-4-

1988

DA Rs 70=00 PM
(Sew. K. S. R.)

WGL 29-12-87

महोदय
Sir

अगली सूचना प्राप्त होने तक और प्रत्येक मास के समाप्त होने पर कृपया को
इस आदेश का पेंशनभोगी वाला भाग प्रस्तुत करने पर पेंशन के प्रति रुपये (आयकर निकालकर) अदा करें जो
..... द्वारा पत्र संख्या म संस्वीकृत की गई तथा दावेदार से सामान्य फॉर्म पर उस राशि के लिए एक
रसीद ले लें। अदायगी से शुरू होने चाहिए।

UNTIL FURTHER NOTICE, and on the expiration of every month be pleased to pay to.....

Smt. H. N. Varajakshi

the sum of Rupees.....

(less Income-tax), being the amount of.....

PENSION, as.....

upon the production of the Pensioner's portion of this order taking from the claimant a receipt of the amount according to usual form. The

payment should commence from.....

Rs. nine hundred and eighty only from 29-12-87 to 28-12-94

and rupees four hundred and ninety only from 29-12-94 onwards.

